4506/07

प्र०क्र० 119/अ-2/06-07

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर, जिला भोपाल

प्र0क0 / 119 / अ–2 / 06–07

संदीप चौहान आ.रामपाल सिंह
सैयद साजिद अली आ. स्व.सैयद साहिब अली
निवासी ई–8 / 42 भरत नगर भोपाल ——————————आवेदक

विरूद्व

म0प्र0शासन————————————————————अनावेदक

(अंतर्गत मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 59 व 172)

आदेश

(पारित दिनांक 22/12/2007)

संदीप चौहान आ.रामपाल सिंह सैयद साजिद अली आ. स्व.सैयद साहिब अली निवासी ई–8 / 42 भरत नगर भोपाल द्वारा प्रस्तुत अपने स्वत्व की भूमि स्थित ग्राम सनखेड़ी खसरा नबंर 127, रकवा 0.760 हे0, खसरा नबंर 186 रकवा 0.17 हे0 भूमि का शैक्षणिक प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन बावत् आवेदन प्रस्तुत किया है।

2 / –आवेदक द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किया है।

- रजिस्टर्ड विकय पत्र की छायाप्रति।
- नगर निवेश द्वारा जारी अनुमोदित अभिन्यास कमांक / 362 / एल0 पी0123 / 29 / नग्रानि / जिका / 2006 भोपाल दि0 30 / 7 / 2007 एंव पत्र कमांक 2831 दिनांक 27 / 11 / 07
- खसरा व अक्स. की प्रति।
- रजिस्ट्रर्ड विकय पत्र की छायाप्रति
- शपथ पत्र
- ऋण पुस्तिका की छायाप्रति

3 / –उपरोक्त दस्तावेजों एंव पटवारी द्वारा प्रस्तुत स्वत्व स्थल जांच प्रतिवेदन का अवलोकन किया जिसके अनुसार निम्नांकित स्थिति बनती है।

अ. प्रश्नाधीन भूमि आवेदक के भूमि स्वामी स्वत्व पर चालू वर्ष में राजस्व अभिलेख में दर्ज होना पाया जाता है।

ब. नगर एंव ग्राम निवेश द्वारा जारी अनुमोदित अभिन्यास अनुसार प्रश्नाधीन भूमि का शैक्षणिक संस्थान उपयोग हेतु है।

स. अधीक्षक भू–अभि(डायवर्सन) द्वारा अपने प्रतिवेदन में प्रश्नाधीन भूमि शैक्षणिक संस्थान उपयोग हेतु व्यपवर्तन की अनुशंसा की गई है।

4/—अतः म0प्र0भू0रां संहिता **1959 की धारा 172(1) एंव इसके अन्तर्गत** बनाये गये नियमों के अन्तर्गत आवेदकगण **ग्राम सनखेड़ी तहसील हुजर** भोपाल भूमि स्थित खसरा नबंर 127, रकवा **0.760 हे0, खसरा नबंर 186** रकवा 0.17 हे0 भूमि (संलग्न अनुमोदित अभिन्यास अनुसार जो आदेश का भाग होगा) शैक्षणिक संस्थान के लिये प्रश्नाधीन भूमि पर पुनःनिर्धारण रूपये 98,184/—(अंठानवे हजार एक सौ चौरासी रू. मात्र) वर्ष 2007—08 से लगातार देय एंव नगर पालिका सीमा के अन्दर स्थित होने से प्रीमियम राशि 1,00,188/—(एक लाख एक सौ अठासी रूपये मात्र) एक मुश्त अधिरोपित किया जाता है तथा निम्नलिखित समस्त शर्तो के अधीन शैक्षणिक संस्थान हेतु व्यपवर्तन स्वीकृत किया जाता हैः—

4.1 प्रश्नाधीन भूमि में अनुमोदित अभिन्यास से अधिक भूमि पर निर्माण कार्य नही किया जायेगा।

4.2 वाटर हारवेसटिंग का सिस्टम लागू किया जायेगा ।

4.3 नियत संख्या में वृक्षो का रोपण करना होगा ।

4.4 प्रश्नाधीन भूमि का विकास कार्य करने से पूर्व संबधित सभी विभागों से आवश्यक अनुमतियॉ लेनी होगी। अनुमोदित अभिन्यास के अनुसार मार्ग/ खुली भूमि/वृक्षारोपण/निम्न घनत्व आदि के लिये स्थल पर रिक्त भूमि छोड़नी होगी।अनुमोदित अभिन्यास के साथ उल्लेखित शर्तो का पालन करना अनिवार्य होगा।

4.5 भू—अर्जन की स्थिति में कृषि दर से मुआवजा लेना होगा।

4.6 स्थल पर विकास करते समय सार्वजनिक स्वास्थ्य,लोक न्यूसेन्स बस्ती व आसपास के रहवासियों की सुविधा एवं सुनिश्चित करना अनिवार्यता होगा।

4.7 निर्माण कार्य तीन वर्ष के अन्दर करना अनिवार्य होगा।

4.8 पुनःनिर्धारण राशि प्रतिवर्ष समय से जमा करना अनिवार्य होगा।

4.9 प्रीमियम राशि एक मुश्त समयावधि में शासकीय कोषालय में जमा कर चालान की मूलभूति इस न्यायालय, में प्रस्तुत करनी होगी। उपरोक्त उल्लेखित किसी भी शर्त का उल्लंघन करने,भू अर्जन होने या किसी प्रकार के स्वत्व विवाद की स्थिति में व्यपवर्तन आदेश स्वमेव निरस्त माना जावे ।

सबंधित पटवांरी तदनानुसार राजस्व अभिलेख में अमल करें।

अनुविभागीय अधिकारी
तहसील हुजूर भोपाल

सत्य प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिकार
कलेक्टर कार्यालय भोपाल

COURT FEE 2 Rs. भारत दो रु. TWO RUPEES
COURT FEE 1 ONE RUPEE एक रुपया INDIA

[illegible] .... 24.[illegible]

[illegible] .... 1.[illegible]

[illegible] .... 25.[illegible]

[illegible]) अभिलेखागार [illegible]

[illegible] अन्य अतिरिक्त सही-

[illegible] के लिये ....

[illegible] का दिनांक ....

[illegible] अतिरिक्त [illegible] के लिए ताकीद करने की

[illegible] ....

[illegible] क्रमांक 6 या 7 [illegible] दिनांक ....

[illegible] तैयार होने की [illegible] .... 25.[illegible]

[illegible] देने या भेजने की [illegible] .... 25.[illegible]

[illegible] .... [illegible]

[illegible] वसूल की गई .... [illegible]

Photocopy

[illegible]

Photocopy

[illegible]कर्ता

मुख्य प्रतिलिपिकार

[illegible]

कार्यालय कलेक्टर (परिवर्तित भूमि) जिला भोपाल म0प्र0

क्रमांक 2 /अ.भू.अ. /भू.अ. /2013 भोपाल, दिनांक 26 / 6 / 2013

प्रति,

चौहान एज्यूकेशन सोसायटी
द्वारा अध्यक्ष श्री संदीप चौहान
पुत्र श्री रामपाल सिंह चौहान एवं
सचिव श्री सैय्यद साजिद अली
आत्मज श्री सैय्यद साहिब अली

विषयः– अभिमत प्रदान करने बाबत्।

संदर्भः– आपका पत्र दिनांक 17–6–13

विषयान्तर्गत संदर्भित आवेदन का अवलोकन करने का कष्ट करें। आपके संस्था की स्वत्व की भूमि खसरा नंबर 127 रकबा 0.76 हेक्टे. ग्राम सनखेड़ी प.ह.नं. 38 तहसील हुजूर जिला भोपाल में स्थित है, दिनांक 24–2–04 के जरिये रजिस्ट्री विक्रय पत्र क्रमांक 3158 के द्वारा उपरोक्त भूमि आपने विक्रेता श्री रामसिंह, सुमेर सिंह आत्मज श्री हरकिसन आदि से क्रय की थी।

2– आपके आवेदन पत्र पर न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर भोपाल के राजस्व प्रकरण क्रमांक 119 / अ–2 / 06–07 आदेश दिनांक 22–8–07 में उपरोक्त भूमि का शैक्षणिक प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन स्वीकृत हुआ था जो आप दोनों पार्टनर के नाम आदेश जारी हुआ था।

3– आपके द्वारा उपरोक्त प्रश्नाधीन भूमि जरिये रजिस्ट्री विक्रय पत्र क्रमांक 5058 दिनांक 30–3–07 को चौहान एज्यूकेशन सोसायटी को विक्रय कर दी।

4– उपरोक्त प्रश्नाधीन भूमि का नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से आपने ~~आवासीय~~ शैक्षणिक प्रयोजन हेतु अभिन्यास प.क्र.381 दिनांक 30–7–07 के द्वारा अनुमोदित कराया है।

5– यहां यह उल्लेखनीय है कि म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 172, 59 में व्यपवर्तन भूमि का होता है व्यक्ति का नहीं तथा भूमि के क्रय विक्रय के संव्यवहार सदा गतिशील रहते है, एक बार भूमि का शैक्षणिक प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन स्वीकृत हो जाये तो वह आगामी 30 वर्ष तक या आगामी बन्दोबस्त योजना आने तक लागू रहता है।

अतः खसरा नंबर 127 रकबा 0.76 हेक्टे. भूमि स्थित ग्राम सनखेड़ी तहसील हुजूर का वर्तमान में स्वरूप शैक्षणिक प्रयोजन का है, कृपया अवगत हो। संस्था द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र पर अभिमत दिया गया है।

26/6/13

अधीक्षक भू–अभिलेख
जिला – भोपाल